

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ॰ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक—6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर—302017

दूरभाषः 0141–2715522 E-mail: modelschoolest@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प. / जय / मॉडल स्कूल / प्रवेश प्रक्रिया—170 द्वितीय / १९१

a2 दिनांक : 23/6/21

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान संबंधित जिले।

विषय:— स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सन्न 2021—22 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :- राज्य सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प. 4 (15) शिक्षा-1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 23.02.15 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 30.06.15 एवं क्रमांक 4 (15)/शिक्षा-1/मॉ. स्कूल/ 2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 17.06.2021 |

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि सत्र 2021—22 में कक्षा 6 से 9 में रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी संदर्भित प्रवेश नीति अनुसार प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। इस हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा प्रिषद् के स्तर से निम्नानुसार कैलेण्डर निर्धारित किया जाता है:—

कक्षा-6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया कैलेण्डर :--

क्र.सं.	प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य	तिथियाँ
1	समाचार पत्रों / इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञप्ति जारी किया	जून, २०२१ का चतुर्थ
	जाना एवं प्रवेश हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार।	सप्ताह।
2 .	प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करना	25.06.2021 से 30.06.2021
3	आवेदकों की सूची का निर्धारण	05.07.2021
4	प्रवेश हेतु चयनित आवेदकों की सूची जारी किया जाना	08.07.2021
5	चयनित आवेदकों से प्रवेश फार्म भरवाया जाना	12.07.2021
6	कक्षा 6 से 8 में प्रवेश कार्य पूर्ण कर शाला दर्पण पर	15.07.2021
	प्रविष्टि करना।	

सत्र 2021–22 में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश एवं आरक्षित सूची तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रवेश समिति का गठन किया जाता है –

क्र.सं.	प्रवेश समिति	पद
1	मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अथवा CBEO द्वारा नामित ACBEO-I or ACBEO-II	सदस्य
3	स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
4	मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य	सदस्य सचिव



कक्षा-9 के विद्यार्थियों हेतु प्रवेश प्रक्रिया कैलेण्डर :--

	वा विकास में विद्यान में निर्देश के विकास के विकास के विकास के किया है कि विकास के किया है कि विकास के किया है				
क्र.सं.	प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य	तिथियाँ			
1	प्रवेश परीक्षा तिथि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु	जून, २०२१ का चतुर्थ सप्ताह।			
	विज्ञप्ति जारी किया जाना। (कक्षा 6–8 की विज्ञप्ति के	3			
	साथ एक ही विज्ञप्ति में प्रकाशित करावें)।				
2	प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जाना	25.06.2021 से 30.06.2021			
3	प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार करवाना	05.07.2021			
4	प्रवेश परीक्षा का ऑनलाईन आयोजन	08.07.2021			
5	प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित कर चयनित आवेदकों की सूची जारी किया जाना।	12.07.2021			
6	कक्षा—9 के प्रवेश का कार्य पूर्ण कर शाला दर्पण पर प्रविष्टि करना।	15.07.2021			

कक्षा 9 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र निर्माण, प्रवेश परीक्षा के क्रियान्वयन व प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने का समस्त उत्तरदायित्व जिला स्तर पर गठित समिति का होगा, समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :--

क्र.सं.	जिला स्तरीय प्रवेश परीक्षा समिति	पद
I.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,	अध्यक्ष
	समग्र शिक्षा अभियान	
II.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)	सदस्य
III.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC), समग्र शिक्षा	सदस्य
	अभियान	
IV.	प्रधानाचार्य-1 जिले में संचालित मॉडल स्कूलों में से	सदस्य
V.	कार्यक्रम अधिकारी, (मॉडल स्कूल) समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव

- कक्षा-9 के लिए ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा के दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।
- कक्षा 10 व 12 में सीबीएसई के नियमानुसार प्रवेश दिया जाये।
- मॉडल विद्यालयों में कक्षा 11 की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

संलग्न - संदर्भित पत्र

(एम. आरं. बागडिया) अति. राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम

प्रतिलिपि :-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
- 2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
- 3. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, रा.स्कू.शि.प., जयपुर।
- 4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, संबंधित जिलें।
- 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक।
- 6. संस्थाप्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, समस्त ब्लॉक।
- 7. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त प्रथम

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः ४(१५)शिक्षा-१ / मॉ.स्कूल २०१७ पार्ट

जयपुर, दिनांकः 17.6.2021

राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।

> रवामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत्।

> पत्रांकःरा.स्कूल शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/ई.सी.जी.सी. /75039—11 / 19872 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा-6, 9, व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में 'संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे", संशोधित किया जाता है।

> भवदीय. (भारतेन्द्र जैन) शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1. विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
- 3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर। 4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- 5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रणवीर सिंह) विशेषाधिकारी—शिक्षा